संOसंO–शिOशुOनिOसO–01 / 17

बिहार सरकार
शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

डा0 अशोक कुमार यादव,
उप निदेशक (चि0शि0)
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषय :– **आदेश / मार्गदर्शन देने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषयक के द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को गठित शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति में किया गया है। महानिबंधक उच्च न्यायालय पटना के पत्रांक 48472 दिनांक 30.07.2016 में संसूचित अनुशंसा के ३ माननीय न्यायमूर्ति अखिलेश चन्द्र (सेवा निवृत्त) को गठित शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया इसके आलोक में माननीय अध्यक्ष से वार्त्ता की गयी एवं उनके द्वारा निम्न कार्य करने हेतु कहा गया है :–

(1) अध्यक्ष को उपलब्ध गाड़ी के स्थान पर इनोवा कीटा या वाहन भत्ता देने का आग्रह अध्यक्ष द्वारा किया गया है।
(2) एम0सी0आई0 एवं विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग से प्रतिनिधि नामित करने हेतु संबंधित को पत्र देने को कहा गया
(3) कार्यालय में उपयोग आनेवाली सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।
(4) कार्यालय कार्य हेतु किसी पदाधिकारी को सचिव या हस्ताक्षरी पदाधिकारी प्राधिकृत करने को विभाग से पत्राचार निदेश दिया गया है।
(5) चार्टेड एकाउण्टेंट की बहाली एवं उनके भत्ते तथा मानदेय से संबंधित आदेश विभाग से प्राप्त करने को कहा गया
(6) सदस्यो के मनोनयन से संबंधित दिशा निर्देश विभाग से प्राप्त करने को कहा गया है।
(7) बैठक में आने वाले सदस्यों / कर्मियों के भत्ते हेतु दिशा निर्देश प्राप्त करने को कहा गया हैं।
(8) कार्यालय व्यय से संबंधित राशि के लिए विभाग से अनुरोध करने को कहा गया है।

विदित हो कि उपरोक्त हेतु पत्राचार एवं अन्य कार्य करने के लिए अभी तक अद्योहस्ताक्षरी को प्राधि किया गया है। साथ ही साथ अध्यक्ष के वेतन, भत्ते एवं अन्य खर्च राशि, कर्मियों के वेतन एवं अन्य भत्ते तथा कार्या एवं अन्य खर्चो के लिए भी अद्योहस्ताक्षरी को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मनोनीत नहीं किया गया है। इ उपरोक्त कार्यो के संपादन में अद्योहस्ताक्षरी को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आग्रह है कि उपरोक्त पर आदेशित / मार्गदर्शन देने की कृपा की जाय ताकि गठित समिति के व संपादन सुचारु रुप से किया जा सके।

विश्वासभाजन

ह0 /

(डा0 अशोक कुमार यादव)
उप निदेशक (चि0शि0)
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 01 / शि0शु0नि0स0स्वा0, पटना, दिनांक 02/5/17

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति परिसर, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पट सूचनार्थ प्रेषित।

02.05.17
उप निदेशक (चि0शि0)
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।